शिकारी जंगलों में सक्रिय, वन से गायब हो रहे राष्ट्रीय पक्षी

ओबरी थाना क्षेत्र में पकड़े मृत पांच राष्ट्रीय पक्षी मोर के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली

ओबरी (प्रात:काल संवाददाता)। राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद लगातार घट रही है। वन्य जंगलो में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार होने से उनकी संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। यह घटना वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि ओबरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फरवरी को रात्री में पुलिस दल गश्त पर था। तभी गश्त दल ने घाटा का गांव पंचायत के जादेला मोड़ के पास एक थार जीप से पांच मृत मोर के साथ दो बन्दुक सहित शिकर करने का सामान जब्त किया था। करीब २० दिन बाद भी पुलिस प्रारंभिक जांच में सिर्फ यह पता लगा पाई है कि उक्त जीप भीलवाड़ा जिले के पटेलों की गोवाडी सदर बाजार बिगोद निवासी अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल कयुम के नाम से रजिस्टर है। पुलिस ने अब तक जीप मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मौके से फरार चारों आरोपी का अभी तक पुलिस कोई सुराग पता नही कर पाई है। उधर, वन विभाग भी पांच राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार कर सिर्फ उदासिन बना हुआ है।

नोटिस-नोटिस खेल रही है पुलिस

क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की हुई इतनी बड़ी घटना के करीब २० दिन बितने के बाद भी पुलिस सुस्त रवैया अपना रही है। जबकी पुलिस के पास घटना में प्रयुक्त थार जीप, दो बंदुके, छर्रे सहित अन्य सामान जब्त करने के बाद भी पुलिस सिर्फ नोटिस-नोटिस खेल रही है। इधर, क्षेत्र के पशु प्रेमियों ने इस मामले के ठण्डे बस्ते में जाने से पुलिस के कार्य करने की शैली पर सवाल उठाए है। वहीं, पुलिस को जीप मालिक ने नोटिस का जवाब देकर बताया कि उसने जीप को पॉवर ऑफ अटानी के तहत प्रतापगढ़ जिले के इन्दिरा कॉलोनी वार्ड नम्बर चार निवासी साहेल खान पुत्र अनवर खान को दे रखी थी। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

क्या कहते है नियम

नियमों में भी और कानूनों में भी राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैद करना और मारना संज्ञन अपराध है। प्रदेश में इसके लिए वन्यजीव अनुसूची और वन्य जीव अधिनियम बनाया गया है मोर को कैद करना, मारना, फदा लगाना एवं शिकार करना अपराध की श्रेणी में है। यह अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 50 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार और धारा 51 के अंतर्गत 3 साल की सजा और 25000 का जुर्माना तक होता है।

खानापुर्ति कर रहा वनविभाग

वन विभाग लंबे समय से चला रहे प्रयासों के बाद भी जिले के जंगलों में अब भी दुर्लभ वन्य प्राणियों का शिकार हो रहा है और अब भी शिकारी जंगलों में सक्रिय हैं। जंगलों के रखरखाव वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा बिगड़ते वनों के सुधार के नाम पर वन विभाग खूब पैसे खर्च करता है। वन विभाग बड़े-बड़े होर्डिंग के साथ ही वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उसके महत्व को समझाने वाले स्लोगन लिखा कर अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति करते हुए नजर आता है लेकिन, शिकारियों की वजह से अब राष्ट्रीय पक्षी का अस्तित्व खतरे में है। वन विभाग के सागवाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकरी सोमेश्वर द्विवेदी ने बताया कि घटना के बाद विभाग अलर्ट पर है रोजाना रात्री को गश्त बढ़ा दी गई है। जिससे ऐसी घटना को रोका जा सके।

इनका कहना है

''मामले की जांच जारी है जीप मालिक को नोटिस भेजी थी जिसमें उसने किसी दुसरे के नाम पॉवर ऑफ अटानी कर जीप दे रखी थी। इसके बाद उस व्यक्ति के नाम पर नोटिस जारी कर दिया है। परन्तु वह घर पर नहीं मिलने के कारण मामले में देरी हो रही है।

- रविशंकर पाटीदार,
जांच अधिकारी एएसआई, ओबरी थाना

''तमाम तरह की लीड के बावजूद राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की तहकीकात में ढिलाई समझ से परे है। मौके पर ही गन और जीप जैसे ठोस सबूत पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। लेकिन, आठ दिन गुजरने के बावजूद अपराधी हाथ नहीं लगे हैं। जबकि ओबरी इलाके के प्रमुख वन क्षेत्र डामरिया सहित अंबाडा, खीरेश्वर, घाटा, जादेला आदि में आए दिन ऐसे अवैध शिकार की घटनाएं होती रहती है। इस मामले का गंभीरता से अनुसंधान हो तो मोर के शिकार करने वाले पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। वन्य प्रेमियों को पुलिस के अलावा वन विभाग से भी काफी उम्मीदें हैं।''

- जितेंद्र जवाहर दवे,
सदस्य वागड़ नेचर क्लब

चम्बल परियोजना में 2245 करोड़ की स्वीकृति जारी

चित्तौड़गढ़ (प्रात:काल संवाददाता)। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नोति प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमेन व पूर्व विधायक सुरेन्द्रसिंह जाडावत ने बताया कि चितौड़ विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति के 215 गांवों व पंचायत समिति भदेसर के 45 गांव ढाणियॉ वृहद पेयजल योजना, चम्बल परियोजना मे कुल राशि 2245 करोड की स्वीकृति जारी हुई है। चितोड पंचायत समिति आबादी गांवो की संख्या 220 और भदेसर की 45 एवं विभागीय योजनाएं पाईप्ड चितौड की 6 एवं भदेसर में 3 और जनता जल योजना पीएण्ड टी चितौडगढ मे 33 व भदेसर में 2, हेण्डपम्प योजना 181 और भदेसर में 40, विधानसभा क्षेत्र मे कुल हेण्डपम्प की संख्या चितौड़ 1338 व भदेसर मे 310, सिंगलफेज की संख्या चितौड़गढ़ में 968 और भदेसर मे 117 है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत ई नीलामी बिक्री सूचना
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
सीआईएन: U45400MH2007PTC234297
पंजीकृत बंद: स्वास्तिक चेम्बर्स, छठी मंजिल सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर मुंबई एमएच 400071
नीलामी की तिथि और समय: 21.03.2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) की संपत्ति की बिक्री, जो परिसमापक द्वारा गठित परिसमापन एस्टेट का हिस्सा है, जिसे माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच द्वारा दिनांक 27.12.2019 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net. के जरिए होगी। नीलाम की जाने वाली संपत्तियों का विवरण, उनका आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि और वृद्धिशील बोली नीचे तालिका में दी गई है:

संपत्तियां	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	ईएमडी राशि (रुपये में) और जमा करने की समय-सीमा	वृद्धिशील बोली राशि (रुपये में)
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम और डाकघर गडोटा, तहसील के परिसर में स्थित कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति: दूदू, अजमेर रोड, जिला: जयपुर, राजस्थान - 303008 ('नीलामी साइट') संपत्ति और नीलामी के नियमों और शर्तों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रक्रिया दस्तावेज़ देखें: https://ksspetron.in/liquidation.html	5,92,48,715/-	59,24,870/- 23.02.2022 से 05.03.2022 तक	20,000/- या अधिक

टिप्पणियाँ:
1) ई-नीलामी के माध्यम से संपत्ति की बिक्री 'जहां है जैसा है', 'जैसा है जैसा है', 'जो कुछ भी है' और 'कोई संसाधन नहीं है' पर है।
2) यह सार्वजनिक सूचना नीलामी स्थल पर स्थित पेट्रोन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (परिसमापन में) की संपत्ति के साथ संयुक्त रूप से केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों की ई-नीलामी करने के इरादे से जारी की गई है। संभावित बोलीदाता पीईसीएल की संपत्ति के संबंध में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया दस्तावेज को इसकी प्रक्रिया विशिष्ट वेबसाइट यानी http://petronengineering.com/liquidation-process/liquidation-process. पर देख सकते हैं।
3) किसी भी अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, आप कृपया परिसमापक से 011-491 21 644-45 पर या उनकी टीम के सदस्य श्री दिविश आहूजा से +91 8860588209 पर या श्री विनोद सिंह से +91 9783444476 पर संपर्क कर सकते हैं।

केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के लिए
एसडी/-
सीएस विनीत चौधरी
परिसमापक
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
IBBI पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246
liquidatorksspetron@vkcindia.com (प्रक्रिया विशिष्ट) ip.vineetchaudhary@gmail.com ((IBBI के साथ पंजीकृत)
IBBI के साथ पंजीकृत समापक का पता: डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049
दिनांक: 23.02.2022
स्थान : नई दिल्ली

सीबीईईओ ने किया विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण

सीमलवाड़ा (प्रात:काल संवाददाता)। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण लाल डामोर ने क्षेत्र के राउमावि जलाई, राप्रावि डामोर फला का निरीक्षण किया जिसमें शैक्षिक, सहस शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों की जानकारी ली। कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने पर संस्था प्रधान को निर्देश दिए साथ ही मिशन बुलंदी पड़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर सहित और परीक्षार्थियों से विषय संबंधित संवाद किए। इस मौके पर संस्था प्रधान बालचंद्र डामोर, लालू राम डामोर को विद्यालय में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई के निर्देश एवं विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक वातावरण के निर्देश दिए व बाल विकास सीमलवाड़ा के परियोजना अधिकारी लक्ष्मण लाल डामोर ने लिखी बड़ी आंगनवाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाएं, पोषाहार वितरण, किशोरी बालिकाओं के टीकाकरण, गर्भवती माताएं, धात्री माताओं की सेवाएं, स्वच्छता अभियान की विस्तार से जानकारी ली।

राजपूत समाज ने डोटासरा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

चित्तौड़गढ़ (प्रात:काल संवाददाता)। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा द्वारा हाल ही में महाराणा प्रताप के विषय में दिये गये बयान के विरोध में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों व अन्य समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्री चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही कांग्रेस अधिवेशन नागौर में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए संघर्ष को सिर्फ सत्ता के लिए बताया जबकि सर्वविदित है कि महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता व स्वाभिमान के लिए सुख-वैभव छोड़कर राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही इनके शिक्षा मंत्री रहते 9वीं से 12वीं कक्षा की पुस्तकों में भी महाराणा प्रताप महाराणा, महाराणा उदय सिंह व हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में सही ऐतिहासिक तथ्यों को हटाकर गलत तथ्य जोड़ें गए, इस संबंध में भी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की अगुवाई में जौहर स्मृति संस्थान सहित मेवाड़ संभाग का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला था। महाराणा प्रताप के विषय में इतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का मामला यहां तक ही नहीं अनवरत जारी है, जिससे कुत्सित षडयंत्र की बू आती है। राजस्थान सरकार पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है जिसका ताजा उदाहरण सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की महिला प्रो. दिग्विजय भटनागर ने अपनी किताब राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा में पेज 80 और 81 में हार के 6 कारण बताते हुए हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताया जिसको लेकर भी मेवाड़ संभाग के साथ राजस्थान के आमजन में कड़ा रोष व्याप्त है। ऐसी पुस्तक पर तुरंत रोक लगाने व डोटासरा द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने बयान वापस नहीं लेने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो मेवाड़ ही नहीं राजस्थान के राजपूत समाज सहित सर्व समाज को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

आमेट नगर पालिका के लक्ष्मीबाजार का मामला

टॉवर की एनओसी निरस्त फिर भी नहीं हटा

आमेट (प्रात:काल संवाददाता)। लक्ष्मीबाजार के सघन आबादी क्षेत्र में स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर लगे मोबाईल टॉवर की नगर पालिका द्वारा एनओसी निरस्त कर देने के बाद भी टॉवर जस का तस खड़ा है। मोहल्ले वासियो द्वारा नगर पालिका को सितम्बर माह में आबादी क्षेत्र में टॉवर के कारण होने वाले रेडिएसन को लेकर शिकायत की गई। जिस पर नगर पालिका आमेट ने कार्यवाही करते हुए 18 नवम्बर को मोबाईल टॉवर की एनओसी निरस्त की दी। एनओसी निरस्त होने के तीन माह बाद भी कम्पनी द्वारा मोबाईल टॉवर नही हटाया गया। अब मोहल्ले वासियो द्वारा जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी को फरियाद की गई। मोहल्ले वासियो ने कहा कि विकिरण के कारण बुजुर्ग लोगो को बिमारियां जकड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इसमे जमकर सरकारी नियमो की धज्जियां उड़ाई गई। वही नगर पालिका ने भी मौका देखकर टॉवर हटाने की जहमत नही उठाई। जिससे मौहल्ले वासियो मे तीव्र आक्रोश है।

नगर पालिका ने जारी किया एनओसी निरस्त का आदेश: पालिका आमेट द्वारा 18 नवम्बर 2021 को इन्डस टॉवर डी - 34 सुभाष मार्ग, जी बिजनस पार्क सी- स्कीम जयपुर को पत्र लिख कर सुचित किया कि आमेट क्षेत्र में पुष्पा देवी पत्नी हीरालाल सोनी लक्ष्मी बाजार में स्थित नाकोड़ा बिल्डीग पर टॉवर निर्माण कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोका जावे। वही नोटिस प्राप्ति के 24 घण्टे में किये गये अवैध निर्माण को हटाकर सूचना अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना था। अन्यथा बाद अवधि किये किये गये अवैध निर्माण को नगर पालिका द्वारा हटाया जाकर समस्त हर्जा-खर्चा कम्पनी से वसुल किया जावेगा तथा उस कार्य की एनओसी को स्वत: निरस्त माना जावे। मोहल्ले वासियो का कहना है कि मोबाईल टॉवर के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर की ओर से व्यवसायिक श्रेणी का विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है।

कोटा में नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले में गिरफ्तारी को लेकर सौंपा ज्ञापन

धरियावद (प्रात:काल संवाददाता)। राज्य के कोटा जिले में नाबलिग की निर्मम हत्या एवं हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन द्वारा धरियावद में मिशन के प्रदेश मिडिया प्रभारी एजाज अहमद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी धरियावद को सौंपा।

ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि हत्या का आरोपी विगत पांच दिनों से पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस दौरान मिशन के जिला लीगल एडवाइजर राकेश सोनी, महिला जिला उपाध्यक्ष नजमा, ब्लाक अध्यक्ष हेमंत सालवी, महिला ब्लाक अध्यक्ष फिरदौस बानो, महासचिव नूरजंहा, संदीप, रमेश माली, आदि मौजूद थें।

उम्मीद हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 318, डीएलएफ मगनालीआस, सेक्टर 42, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम (हरियाणा) 122 002 एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट 809-815, 8वीं मंजिल, टॉवर-ए, ईएमएएआर डिजीटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 61, गुरुग्राम - 122 002 (हरियाणा)
सीआईएन : U65922HR2016PTC057984

कब्जा सूचना (अचल मालमत्ता के लिए) नियम 8(1)

जिस प्रकार, अधोहस्ताक्षरित उम्मीद हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड (यूएचएफपीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 अंतर्गत एवं सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 सहवाचिता अनुच्छेद 13 (12) अंतर्गत प्राप्त अधिकार के साथ निम्न निर्देशित कर्जदार/ आवेदक/ जमानतदार/ गिरवीदार/ सह-आवेदक/ सह-कर्जदार को कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी सदर सूचना में निर्देशित रकम का प्रदान सदर सूचना की तिथि से 60 दिन के अंदर करने के निर्देश देने वाली मांग सूचना जारी की जा रही हैं। कर्जदार/आवेदक/ जमानतदार/ गिरवीदार/ सह-आवेदक/ सह-कर्जदार सदर रकम का प्रदान करने में अपयशी होने के कारण, सदर सूचना कर्जदार एवं आम जनता को इस प्रकार दी जा रही हैं कि, सदर नियम के अनुच्छेद 13(4) सहवाचन सदर नियम 8 अंतर्गत उन्हे प्राप्त अधिकार के अंतर्गत निम्न निर्देशित मालमत्ता का कब्जा लिया हैं। विशेषत: कर्जदार एवं आम जनता को इशारा दिया जाता हैं कि, वह सदर मालमत्ता के संदर्भ में व्यवहार न करें एवं कोई भी व्यवहार उम्मीद हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रभार के अंतर्गत रकम के साथ उस पर ब्याज के अधीन होगी। कर्जदार ध्यान दें की एक्ट के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद 8 के प्रावधान अंतर्गत उनका ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैं कि, उम्मीद हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड सभी मूल्य, प्रभार एवं उद्भव हुए खर्चे के साथ बिक्री एवं हस्तांतरण के लिए निश्चित तिथि से पहले प्रदान करें एवं उम्मीद हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रतिभूत मालमत्ता की बिक्री एवं हस्तांतरण नही किया जाएगा एवं उम्मीद हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रतिभूत मालमत्ता के बिक्री एवं हस्तांतरण के लिए अगले स्टेप्स उठाए जाएंगे।

उधारकर्ताओं का नाम	सुरक्षित आस्तियों/बंधक संपत्ति का विवरण	कुल बकाया राशि रुपये में	मांग नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि
गिरराज कुमार, श्री. नथ्थी राम के पुत्र	मोजमापित 144.444 चौ. यार्ड्स, पट्टा क्र. 43, आवडी खसरा क्र. 177, गांव नांगल बावला, तहसील मुंडावर एवं जिला अलवर (राजस्थान) दिशा : नेबर्स, उत्तर : उदेराम का घर, दक्षिण : रघबीर का घर, पूर्व : कॉमन रोड एवं आवेदक के रहिवासी, पश्चिम : उदमीराम का घर	5,32,285.67	11.12.2021	22.02.2022
कैलाश धोबी, बाबू लाल धोबी के पुत्र	प्लॉट क्र. शून्य (पट्टा क्र. 28), श्री बाबू, श्री गोपी धोबी के पुत्र गांव पीपली, ग्राम पंचायत पीपली, पंचायत समिती सुवाना, जिला भीलवाड़ा राजस्थान, मोज. 5184 चौ. फूट (इसके आगे सदर मालमत्ता के रूप में) सीमा : पूर्व : पब्लिक वे, पश्चिम : पब्लिक वे, उत्तर : सरकारी लॅट्रिन, दक्षिण : देवा, लाडू, जोधा बलाई के पुत्र	476,465.32 + 205,159.03	11.12.2021	21.02.2022
गिरराज प्रसाद खंडेलवाल, कन्हैयालाल गुप्ता के पुत्र	128.88 चौ. यार्ड, प्लॉट क्र. 75ए, रोहित नगर 11, जामडोली रोड, जयसिंहपुरा, खोर, जयपुर 302 027, सदर मालमत्ता की सीमा : पूर्व : प्लॉट क्र. 80, पश्चिम : रोड 30 चौडा, उत्तर : प्लॉट क्र. 74 एवं दक्षिण : प्लॉट क्र. 76.	966,755.00 + 121,887.14	11.12.2021	21.02.2022
मोना गुप्ता, अनुप गुप्ता की पत्नी	प्लॉट क्र. 43, मोज. 66.66 चौ. यार्ड्स, स्कीम न्यू रॉयल सिटी, ग्राम माचवा, कालवाड़ रोड जयपुर सीमा : उत्तर : प्लॉट क्र. 42, दक्षिण : प्लॉट क्र. 44, पूर्व : रोड 30 फिट पश्चिम : प्लॉट क्र. 60, जयपुर 302 012	7,28,303.63	11.12.2021	21.02.2022

जगह : जयपुर **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 22.02.2022 **उम्मीद हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड**

बदमाशों ने पेट्रोल पम्प से चुराया डम्पर

सीसी टीवी कैमरे में कैद पूरी वारदात

राजसमंद (प्रात:काल संवाददाता)। जिले के देलवाड़ा थाना क्षेत्र के नला गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित महाराणा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पम्प पर खड़े एक डम्पर को देर रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने चुरा लिया। चोरी की पूरी वारदात पेट्रोल पम्प पर लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के दौरान पेट्रोल पम्प मैनेजर जितेन्द्रसिंह चौहान व पेट्रोल पम्प मालिक धर्मेश वहां मौजूद नहीं थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार डम्पर चालक चतरसिंह (35) पुत्र प्रतापसिंह झाला निवासी केसूली पिछले चार सालों से इसी पेट्रोल पम्प पर अपना डम्पर खड़ा करते आ रहे है। हर रोज की तरह चतरसिंह अपना डम्पर पेट्रोल पम्प पर खड़ा करके अपने घर चले गए। रविवार को अपने घर पर काम होने के कारण चतरसिंह पेट्रोल पम्प पर नहीं आए। इसी बीच देर रात्रि को मौका पाकर अज्ञात बदमाशों ने डम्पर के चालक सीट का दरवाजा खोलकर डम्पर को चुरा लिया। अगले दिन सोमवार सुबह चतरसिंह डम्पर लेने पेट्रोल पम्प पहुंचे लेकिन वहां पर उन्हें अपना डम्पर नहीं दिखा। इस पर चतरसिंह ने आस-पास व पेट्रोल पम्प कर्मियों से पूछताछ की। इसके बाद सीसी टीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा डम्पर को चुराए जाने की वीडियो मिलने पर डम्पर चोरी होने की जारकारी मिली। इस पर चतरसिंह ने देलवाड़ा थाने में डम्पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर छानबीन प्रारंभ की। चतरसिंह ने बताया कि मैं इस पेट्रोल पम्प से डम्पर में हर महिने करीब एक लाख रूपए का डीजल भरवाता हूं। जिसकी रसीदें मेरे पास है।

8 के विरूद्ध पोक्सो में प्रकरण दर्ज

सागवाड़ा (प्रात:काल संवाददाता)। नाबालिग लड़की ने आठ जनों के विरूद्ध पोस्को में प्रकरण दर्ज कराया। थाना प्रभारी सुरेन्द्रसिह सोलंकी ने बताया की नगर के निकट्वर्ती निवासी नाबालिग लडकी ने अखेपुर निवासी लोकेश पुत्र रतनजी पाटीदार, केशवलाल पुत्र लालजी पाटीदार, प्रवीण पुत्र रतनजी पाटीदार, अशोक पुत्र प्रतापजी पाटीदार, गोविन्द पुत्र वालजी पाटीदार, दिलीप पुत्र केशु पाटीदार, रमेश पुत्र नानजी पाटीदार व पाडवा निवासी केशवल पुत्र माधवजी पाटीदार के विरूद्ध पोस्को में प्रकरण दर्ज कराते हुए बताया की लोकेश पाटीदार हमेशा उस पर रखता आये दिन किसी न किसी बहाने से शरीर को छुने की कोशिश करता है। 10 फरवरी को प्रात: करीब दस बजे अकेली पादरा शादी में जाने के लिये निकली पैदल-पैदल अखेपुर मोड पहुची जहा अकेली देखकर लोकेश पाटीदार ने पिछे से पकड़ लिया तथा अश्लील हरकत करने लगा धमकी देने लगा।

शोर मचाने पर मौसेरा भाई सहित तीन जने आये तथा छुडाया तो लोकेश उन तीनो से भी मारपीट कर भाग गया। वहां से में शादी में गई, शाम को वापस घर आई तथा परिवारजनों को घटना की जानकारी दी।

शाम सात बजे के आस-पास अधेरा होने के बाद के शवलाल, प्रवीण, अशोक, गोविन्द, दिलीप,रमेश निवासी अखेपुर व केशवल निवासी पाड़वा हम सलाह एक राय होकर घर के अन्दर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मॉ-बहन की गालिया देते हुए कहा की तेरे साथ वाले लडको ने हमारे लडके लोकेश को मारा है वह अस्पताल में भर्ती हो गया हमने तुम्हारे खिलाफ मार देने की कोशीश करने का प्रकरण पुलिस में दर्ज कराया है।

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्ज़दारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/ज़मानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे है, अतएव एतद् द्वारा कर्ज़दार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर दाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रुप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	संजीव सोनी/ सीमा सोनी/ सिलोचना सोनी- LBJAI00005048251 LBJAI00005156904/ LBJAI00005322426	प्लॉट नंबर ए 154, दूसरी मंजिल वैशाली नगर, जयपुर- 302021./ 19 फरवरी, 2022	अक्टूबर 30, 2021 ₹ 51,12,990.00/-	जयपुर
2.	ईशान खान/ दिलशाद खान/ शाहन खान- LBJAI00004597619 LBJAI00004591486	फ्लैट नंबर 503, 5वीं मंजिल, एसएनजी का फ्लोरीट, प्लॉट नंबर 153 से 156, उद्योग नगर, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान, जयपुर- 302012./19 फरवरी, 2022	जून 19, 2021 ₹ 20,83,568.00/-	जयपुर
3.	गोपाल चौधरी/ वंदना चौधरी- LBJAI00004952592/ LBJAI00004983662	फ्लैट नंबर 221, खसरा नंबर 550/1 और 550/3, फ्लोर 2, उन्नति विहार ब्लॉक सी, ग्राम मचेरा, तहसील आमेर, जयपुर, जयपुर -303101./ 19 फरवरी, 2022	सितम्बर 27, 2021 ₹ 12,69,780.00/-	जयपुर/ पाली
4.	कीर्ति वसनानी/ कमलेश वसनानी/ कमलेश वसनानी/ ललित कुमार वसनानी- LBJAI00002848936/ LBJAI00002853754	प्लॉट नंबर डी- 222, फ्लैट नंबर 405, चौथी मंजिल सुख सागर अपार्टमेंट, भास्कर मार्ग, बानी पार्क, जयपुर, राजस्थान, जयपुर- 302016./ 19 फरवरी, 2022	अक्टूबर 16, 2021 ₹ 17,38,472.00/-	जयपुर
5.	उर्मिला गोलेचा/ पीयूष गोलेचा/ पंकज गोलेचा- LBJAI00002967384	प्लॉट नंबर सी-23, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान, जयपुर- 302001/ 19 फरवरी, 2022	सितम्बर 27, 2021 ₹ 2,61,07,449.00/-	जयपुर/ मुंबई

उपरोक्त दर्शाये गये कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 सुरक्षित ब्याज 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक: फरवरी 23, 2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: जयपुर(पाली) **आईसीआईसीआई बैंक लि.**